भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 243
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब में एनसीबी कार्यालय

243 श्री राघव चड्ढाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में विशेष रूप से हाल ही में नशीली दवाओं के कारण हुई मौतों को देखते हुए नशीली दवाओं के संकट से निपटने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय किए जाने की योजना है;
(ख) पंजाब में 16 नए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय स्थापित करने की समयसीमा क्या और ये कार्यालय कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाने हैं;
(ग) नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार पंजाब में नशीली दवाओं की स्थिति और युवाओं पर होने वाले इसके प्रभाव का आकलन करने की योजना बना रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने पंजाब में नशीली दवाओं के संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) महत्वपूर्ण और अहम जब्तियों की जांच की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(ii) पंजाब राज्य में स्वापक मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों (पीआईटीएनडीपीएस) की तस्करी की रोकथाम के संबंध में एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया है, जो न केवल पंजाब पुलिस के मामलों में उनकी सहायता करेगा, अपितु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) भी पीआईटीएनडीपीएस के मामले एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजेगा।

(iii) स्वापक पदार्थों की तस्करी में सहयोग करने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/मैक सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, मादक पदार्थों के नेटवर्क के इंटरसेप्शन, डाटाबेस के नियमित अद्यतनीकरण के साथ प्रवृत्ति, कार्य प्रणाली एवं तौर-तरीकों की सतत पहचान तथा संबद्ध नियमों एवं कानूनों की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) तंत्र के अंतर्गत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक कार्यबल गठित किया गया है।

(iv) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(v) भारत के भीतर और विदेशी राष्ट्रों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान और नियंत्रित डिलिवरी (सीडी) संबंधी ऑपरेशन नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं।

(vi) पंजाब राज्य में एक समर्पित स्वापक पदार्थ-रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) गठित किया गया है, जहां विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राज्य के एएनटीएफ प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे है।

(ख): सरकार ने अमृतसर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी प्रदान की है और सब-जोनल यूनिट को अपग्रेड करके जोनल यूनिट बना दिया गया है। वर्तमान में अमृतसर में क्षेत्रीय कार्यालय और जोनल यूनिट दोनों पूर्णरूप से परिचालित हैं।

राज्य सभा अता.प्र.स. 243 दिनांक 27.11.2024

(ग): नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के क्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित नशीली दवाओं के महत्वपूर्ण और अहम मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वापक पदार्थ-रोधी कार्यबल (एनएनटीएफ) गठित किया गया है।

(iv) नार्को-आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को वर्ष 2020 में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत भूमि और सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को शक्तियां प्रदान की गई हैं, ताकि देश के दूरस्थ और सुदूर क्षेत्रों में स्वापक औषधियों की रोकथाम की जा सके।

(vi) सम्पूर्ण देश में रेलवे नेटवर्क के माध्यम से स्वापक पदार्थों के अंतर-राज्यीय परिवहन के मद्देनजर, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत आरपीएफ को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राज्य सभा अता.प्र.स. 243 दिनांक 27.11.2024

(vii) समुद्री मार्गों के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह अर्थात् बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (एमएएमएसजी) का गठन किया गया है।

(viii) एनसीबी ने अतंरप्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के सहयोग से नेशनल इंटिग्रेडेट डाटाबेस अबाउट अरेस्टेड एनडीपीएस ऑफेंडर्स (एनआईडीएएएन) नामक एक पोर्टल तैयार किया है।

(ix) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता संर्वधन के लिए, एनसीबी अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषध व्यसन उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सहयोग से वर्ष 2019 में "भारत में स्वापक औषधियों के दुरुपयोग का परिमाप-2019" नामक एक सर्वे किया, ताकि भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की मात्रा का पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य में नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

बच्चे (10-17 वर्ष)	**भांग**	**नशीले पदार्थ**	**शामक**	**कोकेन**	**एटीएस**	**हैलुसिनोजन**
	143000	343000	93000	18100	28800	<100
व्यस्क (18-75 वर्ष)	3068000	2136000	993000	150000	13600	-

(**स्रोत:** वर्ष 2022-23 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की 51वीं रिपोर्ट)

******